

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद /  
अररिया / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / प० चम्पारण /  
जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा।  
अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त  
सहरसा / किशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ

पटना, दिनांक :- 22/12/2022

विषय :- बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक- 1712 दिनांक- 28.02.2021 एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक- 519 दिनांक- 25.11.2021 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के वैसे राजस्व ग्रामों में थाना संख्या, टोलावार बट्टा में थाना संख्या रहने तथा उक्त राजस्व ग्रामों में सभी अलग-अलग टोलों में खेसरा नम्बर एक से प्रारंभ होने के कारण आनेवाली कठिनाईयों के समाधान हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि वर्तमान समय में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के अंतर्गत मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख के निर्माण प्रक्रिया में राजस्व ग्रामों जिनका थाना संख्या पूर्व के सर्वेक्षण में थाना संख्या बट्टा नम्बर में अंकित होने के कारण आनेवाली कठिनाईयों के संबंध में जमुई एवं बांका के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई। इस संबंध में उक्त दोनों जिलों द्वारा जिन समस्याओं को प्रतिवेदित किया गया जो निम्न है:-

(क) बांका जिले से संबंधित समस्याएँ

1. अंचल- कटोरिया, शिविर संख्या-1 कटोरिया अन्तर्गत गठित शिविर में कुल 28 राजस्व ग्राम को शामिल किया गया, जबकि अंचल द्वारा प्रतिवेदित राजस्व ग्रामों की संख्या- 379 है।

राजस्व ग्राम का नाम	थाना सं० (मानचित्र में अंकित)	थाना सं० बट्टा के साथ (खतियान में अंकित)	चादर सं०
भोरसार	200	200 से 200 1 262	31
जमदाहा	201	201 से 201 1 58	28
कधार खास	202	202 से 201 1 226	59

- राजस्व ग्रामों में कई चादर है, लेकिन खेसरा का क्रमांक की पुनरावृत्ति अन्य चादरों में भी पाई गई, जिसके कारण पोर्टल पर इंट्री नहीं हो रही है।
- गत सर्वे खतियान (CS) में थाना नम्बर बट्टा में डालकर प्रदर्शित किया गया है।

- रिविजनल सर्वे में भी बड़ा नम्बर डालकर प्रदर्शित किया गया है।
- बन्दोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चादरों में अंकित टोलों के आधार पर मूल थाना नम्बर में बड़ा डालकर स्वतंत्र राजस्व ग्राम के रूप में प्रदर्शित की गई है, जिसका भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में इन्द्राज नहीं है।

2. अंचल चांदन, शिविर संख्या- 1

राजस्व ग्राम का नाम	थाना सं० (मानचित्र में अंकित)	थाना सं० बड़ा के साथ (खतियान में अंकित)	चादर सं०
वारेन	125	125 से 125 1 43	16
चांदवारी	117	117 से 117 1 39	16
कसवावोलिया	113	113 से 113 1 31	25
नवाडीह	110	110 से 110 1 13	7
टोनापाथर	108	108 से 108 1 18	23

- उक्त सभी राजस्व ग्राम के खतियान में एक ही खेसरा संख्या दो अन्य-अन्य खाता में चढ़ा हुआ है। सभी राजस्व-ग्राम के मानचित्र में भी एक ही खेसरा दो अन्य-अन्य खाता में चढ़ा हुआ है। सभी राजस्व ग्राम के मानचित्र में भी एक ही खेसरा संख्या दो अन्य-अन्य शीट में अंकित है।

3. अंचल- चांदन, शिविर संख्या- 2, राजस्व ग्राम- चान्दन, थाना संख्या- 141 खतियान दो Volume में उपलब्ध है।

राजस्व ग्राम का नाम	थाना सं० (मानचित्र में अंकित)	C.S नक्शा का कुल संख्या	खतियान	संघारित खेसरा
चान्दन	141	2705	Volume-1	01 से 1108
			Volume-2	01 से 1597

(ख) जमुई जिले से संबंधित समस्याएँ

एक ही राजस्व ग्राम जिसका थाना नं० एक है परन्तु टोलावार थाना नं० बड़ा में रहने के कारण सही खेसरा उक्त ग्राम के नक्शा के अनुसार एक से अधिक बार आता है परन्तु उपलब्ध Software में राजस्व ग्राम एक रहने के कारण खेसरा को एक से अधिक बार Entry नहीं होता है। फलतः उपलब्ध खेसरा के अनुरूप अपलोडिंग नहीं होता है।

(ग) वर्तमान में विभागों में अभिलेख राजस्व ग्राम के टोलावार थाना संख्या बड़ा के अनुसार संघारण की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- अंचल- कटोरिया के निर्मित खतियान में मौजा-जमदाहा, थाना संख्या 201/51, मौजा-जमदाहा टोला धुरिया थाना संख्या- 201/50 दर्ज है।
- अंचल अधिकारी, कटोरिया से राजस्व ग्रामों के प्राप्त सूची में भी थाना संख्या, बड़ा नम्बर सहित अंकित है।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर पंजी-II भी टोला का नाम एवं थाना संख्या में बड़ा के साथ प्रदर्शित है। इसी के अनुसार निबंधन एवं राजस्व से संबंधित सभी कार्य निष्पादन किया जा रहा है।
- पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्व ग्राम- भोरसार, थाना संख्या- 200, जमदाहा, थाना संख्या-201 एवं कधार खास, थाना संख्या-202 के सभी टोला के थाना संख्या बड़ा नम्बर वाले को मौजा आई०डी० उत्पन्न किया गया है।



- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बांका का पत्रांक- 963 दिनांक- 25.08.2021 से भी स्पष्ट होता है कि टोलावार एवं थाना संख्या बट्टा को टोला को मौजा के रूप में चिन्हित किया गया है।
- (घ) बांका एवं जमुई जिला के साथ ग्रामों के संबंध प्राप्त प्रतिवेदन, खतियान एवं मानचित्र के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है:-

- संबंधित राजस्व ग्राम का अधिकार-अभिलेख (कैडेस्ट्रल सर्वे) राजस्व ग्राम के साथ टोला का नाम, थाना संख्या/बट्टा संख्या के अनुसार तैयार किया गया था और पंजी-II भी संधारित है। उसी अनुरूप अंचल कार्यालय में राजस्व से संबंधित कार्य किया जाता है।
- भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 अन्तर्गत उक्त मौजा (टोलावार राजस्व ग्राम, थाना संख्या एवं बट्टा संख्या के अनुसार) में निबंधित किया जाता है।
- राजस्व मानचित्र में भी टोला/थाना संख्या बट्टा के साथ प्रदर्शित करते तैयार किया गया। टोला बॉउण्ड्री को मोटा लाईन से मानचित्र पर दर्शाया गया है, जिससे टोला को अलग-अलग किया गया है।

उक्त सभी समस्याओं के संबंध में The Technical Rules of Settlement Department, Bihar, 1959 (प्रथम संस्करण, 1927) के नियम-88 में टोला के संबंध में दिये गये प्रावधान एवं बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-3(10) में दी गई "गांव" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नवत् कार्रवाई की जा सकती है:-

उपरोक्त समस्याओं को निराकरण हेतु निम्न सुझाव पर विचार किया जा सकता है:-

- (i) संबंधित राजस्व ग्रामों के विभिन्न टोले को अलग-अलग मौजा मानते हुए सभी टोलों का अलग-अलग शीट पर स्वतंत्र मानचित्र तैयार किया जा सकता है। मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम के साथ मूल थाना संख्या के साथ बट्टा संख्या अंकित किया जा सकता है।
- (ii) किस्तवार प्रक्रम में खानापुरी दल प्रत्येक टोला थाना संख्या, थाना संख्या/बट्टा संख्या के अनुसार मानचित्र में अलग-अलग किया जा सकता है।
- (iii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी संबंधित राजस्व ग्राम, टोला एवं थाना संख्या, बट्टा के साथ अलग-अलग मानचित्र तैयार किया जा सकता है और निदेशालय के पत्रांक- 156 दिनांक- 21.01.2022, पत्रांक- 274 दिनांक- 09.02.2022, पत्रांक- 462 दिनांक- 28.02.2022 एवं पत्रांक- 158 दिनांक- 21.01.2022 के अनुसार मानचित्र में सभी अवयव दर्शाया जाएगा।
- (iv) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 अन्तर्गत प्रथम चरण के बीस जिलों के 89 अंचल के राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन हेतु प्रपत्र-1 में उद्घोषणा की गई है, लेकिन उक्त राजस्व ग्राम में टोला, थाना संख्या, बट्टा संख्या होने के कारण गांव के रूप में माना जाता है तो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम- 4 अन्तर्गत प्रपत्र-1 में उद्घोषणा प्रकाशित किया जाएगा।
- (v) कैडेस्ट्रल/रिविजनल सर्वे के मानचित्र के डिजिटिज्ड किये गये मानचित्र Sheet Index दर्शाया गया है, उदहारण स्वरूप निम्नवत् है:-

CS	20	01	0010	229	01
या					
SS	District	Anchal	Village	Thana	Sheet
	Code	Code	Code	No.	No.

Map Code



यदि भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में राजस्व ग्राम का नाम/टोला का नाम एवं था. संख्या बट्टा के साथ प्रावधान किया जाता है, तब विशेष सर्वेक्षण के मानचित्र में Sheet Index इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

CS	00	00	0000	000	000	01
या						
SS	District	Anchal	Village	Thana	Batta	Sheet
	Code	Code	Code	No.	No.	No.

Map Code

अतः अनुरोध है कि उक्त सुझावों के आलोक में बट्टा नम्बर वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य का निष्पादन किया जाए। साथ ही स्पष्ट करना है कि बांका/जमुई के अलावे अन्य जिला में समरूप समस्या हो तो उपरोक्त सुझाव के अनुसार निष्पादन किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) विविध-(बटा नम्बर)-12/2021.....पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय /जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) विविध-(बटा नम्बर)-12/2021.....पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद /किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिमा/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) विविध-(बटा नम्बर)-12/2021.....पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) विविध-(बटा नम्बर)-12/2021.....पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IEISL (IL&FS), GISC, IIC के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) विविध-(बटा नम्बर)-12/2021.....<sup>4716</sup> पटना, दिनांक <sup>22/12/2022</sup>  
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) विविध-(बटा नम्बर)-12/2021.....<sup>4716</sup> पटना, दिनांक <sup>22/12/2022</sup>  
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण